

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम लोरवा जमाबंदी सं. 2078-25 के खाता सं. 111 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जाये।

भू प्रबंध खतोनी खाता सं.	भू प्रबंध खतोनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
111	रामचन्द्र पुत्र वीरमलाल हिसा 189 6992 जाति मीचवाल रामचन्द्र पुत्र वीरमलाल हिसा 101 जाति 9220 मीचवाल सांस्ट्रेट खातेदार	111	रामचन्द्र पुत्र वीरमलाल हिसा 189 6992 जाति मीचवाल सांस्ट्रेट रामचन्द्र पुत्र वीरमलाल हिसा 101 जाति मीचवाल	रामचन्द्र पुत्र वीरमलाल हिसा 4783 34960 जाति मीचवाल सांस्ट्रेट खातेदार

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण


1. रामचन्द्र पुत्र वीरमलाल मीचवाल
2. रामबाबु पुत्र वीरमलाल मीचवाल
3.
4.

हस्ताक्षर

रामचन्द्र
रामबाबु

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम लोरवा के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।


हस्ताक्षर पटवारी
प० न० लोरवा

रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।


भूअभिलेख निरीक्षक
भू० अ० न० लोरवा
2023/11

रिपोर्ट तहसीलदार / पेंसेकार सरकार

क्रमांक: राजार/2025//

दिनांक :

तहसीलदार, बांध रिपोर्ट परवाची एव मुकामिलेख निरीक्षण अनुसार ग्राम वेरवा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
राजस्व विभाग (पू. अ.)
पिडावा जि. झालावाड


आदेश

न्यायालय सभखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज०

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/324

दिनांक : 06/10/25

वादी/प्राची के ग्राम वेरवा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिडावा की समत जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित कुटीपूर्ण इन्द्राज को कॉलम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्राची के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कॉलम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल बरताने करें।


सभखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज०